

प्रेस विज्ञप्ति

थाना जहानागंज

अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 24.03.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादिनी के ससुराल वाले वादिनी से दहेज की मांग कर मार पीट कर जान से मारने की धमकी दे रहे है तथा उसके पति ने आप्राकृतिक सम्बन्ध बनाया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 123/24 धारा 498A,323,506,377 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट बनाम सचिन सिंह (पति) व ससुरालजनों समस्त निवासी रूकुन्दीपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर के विरुद्ध पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 मदन गुप्ता द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.04.2024 को उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सचिन सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह साकिन रूकुनूदीनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर को चन्द्रशेखर ट्रस्ट से समय करीब 10.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 123/24 धारा 498A.323.506.377 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार अभियुक्त- सचिन सिंह पुत्र विजय कुमार सिंह साकिन रूकुनूदीनपुर थाना सम्मनपुर जनपद अम्बेडकर नगर उम्र करीब 29 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 मदन कुमार गुप्ता, का0 टार्जन गोड़ थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना कन्धरापुर

अवैध तमन्चा-कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.04.2024 को व0उ0नि0 रमेश कुमार मय हमराह द्वारा मड़या पूर्वांचल अण्डर पास से अभियुक्त करिया निषाद उर्फ रामबचन निषाद पुत्र फिरतू निषाद ग्राम भोर्ला मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष को 01 तमंचा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 19:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 102/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- करिया निषाद उर्फ रामबचन निषाद पुत्र फिरतू निषाद ग्राम भोर्ला मकबूलपुर थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 24 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 103/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 103/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट. थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

2. मु0अ0सं0 115/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कन्धरापुर आजमगढ़।

बरामदगी- 01 नाजायज तमंचा देशी .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- व0उ0नि0 रमेश कुमार, का0 उपेन्द्र कन्नौजिया, का0 अर्जुन गुप्ता थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ़।

थाना तहबरपुर

अवैध तमन्चा कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 13.04.2024 को उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद मय हमराह को सूचना मिली कि 01 व्यक्ति अवैध तमन्चा कारतूस के साथ सेमरी से करियाबर की तरफ आ रहा है। इस सूचना पर उ0नि0 राजेन्द्र मय हमराह द्वारा उच्च प्राथमिक विद्यालय करियावर से अभियुक्त अबुसाद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम नैपुरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष को 01 देशी तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 19.05 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 91/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- अबुसाद पुत्र निजामुद्दीन निवासी ग्राम नैपुरा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 24 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

बरामदगी- 01 तमन्चा .315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 राजेन्द्र प्रसाद, हे0का0 प्रवीण सिंह, हे0का0 कपिल देव पाल थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़।

थाना सरायमीर

बालिका से छेड़खानी करने का आरोपी अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.04.2024 को वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 12.04.2024 की सुबह अभियुक्त चन्द्रेश पुत्र पतरू राम सा0 कोलपुर कुसहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ वादिनी की लड़की के साथ छेड़खानी कर रहा था वादिनी की लड़की के चिल्लाने पर बड़ी लड़की पहुची तो अभियुक्त द्वारा गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 178/24 धारा 354क/504/506 भादवि0 व 9 एम/10 पास्को एक्ट पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14-04-2024 को उ0नि0 योगेन्द्र कुमार मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त चन्द्रेश पुत्र पतरू राम सा0 कोलपुर कुसहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को फरीदुनपुर मोड़ से समय करीब 10:50 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 178/24 धारा 354क/504/506 भादवि व 9एम/10 पास्को एक्ट थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त- चन्द्रेश पुत्र स्व0 पतरू राम सा0 कोलपुर कुसहा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 योगेन्द्र कुमार, का0 विभय नारायण दूबे, का0 रजनीश पटेल थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़।

थाना बिलरियागंज
गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 07.04.2023 को वादी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 21.06.2020 को अभियुक्त 1.मोहम्मद अकमल पुत्र एकराम निवासी भावारायपुर पट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 2.सहजाद पुत्र अफजल निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 3.शाह आलम पुत्र इद्रीस निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 4.सादिक पुत्र इन्तेखाब निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 5.मोहम्मद सलीम पुत्र परवेज निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 6.खुर्शीद पुत्र इश्तेयाक निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़, 7.वशीउर्रहमान पुत्र मंजूर अहमद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ने वादी के चाचा सौकत अली को डरा धमका कर बैनामा करा लिये जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 151/2023 धारा 34, 365, 386, 506 भादवि0 पंजीकृत विवेचना प्रारम्भ की गयी।

➡ दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि गैंगलीडर अकमल पुत्र एकराम निवासी भावारायपुर थाना बिलरियागंज अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट-बलवा और आगजनी जैसे अपराध कारित करता है।

➡ उपरोक्त गैंग के कृत्यों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु थानाध्यक्ष बिलरियागंज की रिपोर्ट पर जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा गैंग चार्ट अनुमोदित किया गया।

➡ जिसके क्रम में दिनांक 13.04.2024 को थाना बिलरियागंज पर अभियुक्तों 1.मोहम्मद अकमल पुत्र एकराम निवासी भावारायपुर पट्टी टण्डन राय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 2.सहजाद पुत्र अफजल निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 3.शाह आलम पुत्र इद्रीस निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 4.सादिक पुत्र इन्तेखाब निवासी पाँती बुजुर्ग थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 5.मोहम्मद सलीम पुत्र परवेज निवासी जयराजपुर थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 6.खुर्शीद पुत्र इश्तेयाक निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ 7.वशीउर्रहमान पुत्र मंजूर अहमद निवासी गुलवा गौरी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ के विरुद्ध मु0अ0सं0 111/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.04.2024 को थानाध्यक्ष बिलरियागंज विनय कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त खुर्शीद पुत्र इश्तेयाक निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को जैगहा से समय करीब 06.00 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- खुर्शीद पुत्र इश्तेयाक निवासी रामपुर हज्जामपट्टी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास -

1. मु0अ0सं0 111/24 धारा 2(ख)(1)/3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना बिलरियागंज, जनपद आजमगढ़ ।
2. मु0अ0सं0 151/2023 धारा 34, 365, 386, 506 भादवि थाना बिलरियागंज आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 244/15 धारा 435 भा0द0वि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
4. मु0अ0सं0 53/14 धारा 147, 186, 341, 353, 504 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।
5. मु0अ0सं0 150/09 धारा 147, 148, 323,336, 342, 425, 504, 506 भादवि व 7 सीएलए एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह, हे0का0 रामनिवास यादव, का0 स्वातेश कुमार, का0 महेन्द्र कुमार मौर्या, म0का0 प्रेमलता पाण्डेय थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ ।

थाना- रानी की सराय

जिला बदर अपराधी अवैध तमन्चा कारतूस के साथ गिरफ्तार

दिनांक 14.04.2024 को थानाध्यक्ष रानी की सराय प्रदीप कुमार मिश्र मय हमराह द्वारा आवक मोड कोटिला से जिला बदर अपराधी अभियुक्त अब्दुल्ला पुत्र एहसान निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष को समय करीब 06.35 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➔ गिरफ्तार अभियुक्त अब्दुल्ला को श्रीमान अपर जिला मजिस्ट्रेट (भू - राजस्व) आजमगढ द्वारा दिनांक 23.02.2024 से 06 माह के लिए जिला बदर किया गया है।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 96/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ।

गिरफ्तार अभियुक्त- अब्दुल्ला पुत्र एहसान निवासी सिरसाल थाना रानी की सराय आजमगढ उम्र करीब 25 वर्ष।

बरामदगी – 01 तमन्चा .315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस .315बोर

आपराधिक इतिहास-

क्र0स0	मु0अ0स0	धारा	थाना	जनपद
01	70/2020	3/5/8 गोवध अधि0 व 4/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ
02	96/2020	3(1) यू0पी0 गैग्रेस्टर एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ
03	95/2024	10गुण्डा गर्दी अधि0	रानी की सराय	आजमगढ
04	96/2024	3/25 आर्म्स एक्ट	रानी की सराय	आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार मिश्र, व0उ0नि0 गोपाल जी, का0 प्रमोद कुमार यादव, का0 अखिलेश कुमार मिश्र, का0 संदीप कुमार, म0आ0 अनिता मिश्रा थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ।

थाना मुबारकपुर

मारपीट करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 13.03.2024 को वादी मुकदमा कन्हैया पुत्र घुरहू निवासी ग्राम खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी के लड़के सोनू को सोते समय अभियुक्त 1.नीरज पुत्र टिल्लू राम निवासी खौरा थाना मुबारकपुर व 2. संजय दत्त पुत्र लक्ष्मण राम निवासी खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ ने गाली गुप्ता देते हुए मारा पीटा जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 139/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.04.2024 को उ0नि0 अनिल कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्तों 1.नीरज पुत्र टिल्लू राम निवासी रोनीबाग चकसीकठी थाना मुबारकपुर व 2. संजय दत्त पुत्र लक्ष्मण राम निवासी खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ को गुजरपार तिराहा से समय करीब 13.15 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 139/2024 धारा 308/323/504/506 भादवि थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नीरज पुत्र टिल्लू राम निवासी रोनी बाग चकसिकठी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

2. संजय दत्त पुत्र लक्ष्मण राम निवासी खौरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

आपराधिक इतिहास- मुकदमा उपरोक्त

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 अनील कुमार सिंह, का0 अनिरुद्ध यादव, का0 आलोक रंजन थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ।

थाना- मेंहनगर

हत्या का प्रयास करने वाला अभियुक्त तमंचा-करातूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना- दिनांक 19.01.2024 को वादी मुकदमा आदेश कुमार पुत्र रमेश राम निवासी ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि वादी के चाचा योगेश राम पुत्र शम्भू राम ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ को अभियुक्तों 1. सोनू s/o महेन्द्र राम ग्राम दौलतपुर थाना मेंहनगर आजमगढ़ व 2. राहुल s/o सुरेन्द्र राम ग्राम रसूलपुर थाना चिरैया कोट मऊ ने पुरानी रंजीश को लेकर मेंहनगर बाजार में अवैध असलहा से हाथ में गोली मार दिए जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 22/24 धारा 307 भादवि बनाम 1.सोनू पुत्र महेन्द्र राम साकिन दौलतपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ व 2.राहुल पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी रसूलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ के पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया।

➡ पूर्व में अभियुक्त सोनू पुत्र महेन्द्र राम को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तारी का विवरण- आज दिनांक 14.04.2024 को निरीक्षक जयप्रकाश यादव मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त राहुल पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी रसूलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ को गोपालपुर चौराहे से समय करीब 04:45 बजे गिरफ्तार किया गया जिसकी जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त के पास से 01 तमंचा .303 बोर व 01 कारतूस .303 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरमादगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं.- 134/24 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त- राहुल पुत्र सुरेन्द्र राम निवासी रसूलपुर थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ।

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 134/24 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 तमंचा .303 बोर व 01 जिन्दा कारतूस .303 बोर।

आपराधिक इतिहास –

1.मु.अ.सं. 22/24 धारा 307 भादवि थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ।

2. मु.अ.सं.- 134/24 धारा 3/7/25 आर्म्स एक्ट थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- निरीक्षक जयप्रकाश यादव, आरक्षी सुरेन्द्र कन्नौजिया, म0उ0नि रानी साहू, म0आ0 पूनम तिवारी थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़।